न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2020-00107RAAJodhpur2020-51RTA223 Bawal ors Vs Fatta Mohmmad etc

1. बावल पुत्र समशे खां
2. अलादीन पुत्र समशे खां
3. अलादीन पुत्र मकबुल खां
4. आयुब पुत्र अलादीन
5. कालु खां पुत्र नबे खां
6. असलम पुत्र कालु खां
7. नसरदीन पुत्र नबे खां
8. सिकन्दर पुत्र नसरदीन
9. रईस पुत्र निजामदीन
10. कासम पुत्र आमद खां
11. सफी पुत्र मकबुल के कायम मुकाम
    11.1. सलीम
    11.2. बरकत खा

    सभी जाति मुसलमान निवासी जूनेजों की ढाणी, लोडिया तहसील फलोदी जिला फलोदी
12. यासीन पुत्र बचू खां
13. भीखे खां पुत्र बेराब खा

    जाति मुसलमान निवासी जूनेजों की ढाणी, लोडिया तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. फता मोहम्मद पिसरान अली खां
2. अखे मोहम्मद पिसरान अली खां
3. अयुब खां पुत्र सुभान खां
4. कमे खां पुत्र सुभान खां
5. आसमान खां पुत्र सुभान खां
6. इकबाल पुत्र सिकन्द खां
7. सखीना पत्नी सिकन्द खां निवासी चारणाई तहसील फलौदी प्राकृतिक संरक्षक कासम पुत्र आमद खां अवयस्क पुत्रगण
    7.1. अब्दुल राहीम
    7.2. जानु खां
    7.3. फिरोज पिता सिकन्दर
8. उमर फारूक पुत्र छोटु खां

9. गुलाम रसूल पुत्र नूर खां
10.आमदनी पुत्र नूर खां
11.कमरदीन पुत्र नूर खां
12.हनीफ खां पुत्र हसन खां(फौत)
13.गफुर खां पुत्र हुसैन खां
14.अहमद खां पुत्र हुसैन खां
15.गफूर खां पुत्र जमा खां
16.फते खां पुत्र जमाल खां
17.हसने खां पुत्र जमाल खां
18.रउफ खां पुत्र जमाल खां
19.अयुब खां पुत्र मेहरदीन

जाति मुसलमान सिपाही निवासी मोहरा तहसील फलौदी।

20.अलादीन पुत्र तालब खां जाति मुसलमान निवासी चारणाई
21.बरकत पुत्र हनीफ खां पुत्र तालब खां जाति मुसलमान निवासी चारणाई
22.अमीयत पत्नी हनीफ खां बहैसियत प्राकृतिक संरक्षिका अवयस्क पुत्रगण

22.1. जाकिर
22.2. हबीब
22.3. अनीश
22.4. अस्कर

पिसरान हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी चारणाई, तहसील फलौदी

23.हनीफ खां पुत्र गांधी खां निवासी चारणाई तहसील फलौदी जिला फलोदी।
24.तहसीलदार फलौदी
25.पटवारी जुनेजों की ढाणी, तहसील फलौदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 71/2012 बावल व अन्य बनाम फता मोहम्मद इत्यादि

उपस्थित–
श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 24

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 71/2012 अनवान बावल व अन्य बनाम फता मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम जुनेजो की ढाणी तहसील फलोदी के खसरा नम्बर 206 रकबा 145.13 बीघा के सम्बन्ध में एडवर्स पजेषन के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेष किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 के जरिये वाद को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेण्ट से पूर्व से अपीलांट्स का कब्जा काष्त चला आ रहा है। अपीलांट्स द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरियॉ प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो प्रथमदृष्टया त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के क्लेम के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिजी का आधार केवल प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को लिया है, जबकि वादीगण के वाद पत्र में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के संबंध में कोई अभिवचन नहीं लिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पर तनकीवार किसी प्रकार का निष्कर्ष अभिलेखित नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय आदेश 41 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह बखूबी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है कि वादगस्त भूमि में प्रतिवादीगण का नाम भूलवश दर्ज हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के

काउन्टर क्लेम पर भी कोई निर्णय नहीं दिया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण अनपढ होने से उन्हे वाद के निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। रेस्पोडेंट्स द्वारा दिनांक 16.02.2020 को ऐलानिया धमकी दिये जाने पर अपीलांट्स को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट्स द्वारा दिनांक 17.02.2020 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स द्वारा जानबूझ कर कोई विलंब नहीं किया गया है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को प्रष्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व से ही अपने पूर्वजों का निरंतर कब्जा काष्त होना बताते हुए इस आधार पर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादीगण का दायित्व बनता है कि वे अपने वाद पत्र में किये गये कथनों को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पुष्ट करे। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से वर्तमान समय तक निरंतर कब्जे काष्त के संबंध में कोई

दस्तावेजी अथवा मौखिक प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे वादीगण का वाद साबित हो। वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी मरीमा बेवा गरे अली जाति मुसलमान निवासी मोहरा के नाम से दर्ज है। कानूनन वादीगण को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 71/2012 अनवान बावल व अन्य बनाम फता मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 दिसंबर 2019 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर